

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जहानागंज01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16.06.22 को आवेदिका आशा देवी W/O घुरपतरी गुप्ता ग्रा0 व पो0 शेरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि दिनांक 15/06/2022 को समय करीब 9 बजे हमारे दुकान पर सोनू यादव S/O रामजीत यादव ग्रा0 व पो0 शेरपुर आया और हमारे बेटे से दारु पीने के लिए पैसे माँगने लगा मना करने पर मेरे दुकान के सामने हमारी दो पहिया वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP 53 AA8802 TVS STAR में आग लगा दिया जिससे मेरी गाड़ी जलकर राख हो गई। के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 252/22 धारा 435 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक- 18.06.2022 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रामजीत यादव ग्राम शेरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ शेरपुर तिराहा पर है तत्काल मौके पर पहुँचकर उपरोक्त व्यक्ति को पकड़ लिया तथा उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू यादव पुत्र रामजीत यादव ग्राम शेरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया कि गिरफ्तारी कारण बताकर समय करीब 07.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 252/22 धारा 435 भा0द0वि0 थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू यादव पुत्र रामजीत यादव ग्राम शेरपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह - हे0का0 सियाकान्त यादव का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर**एच.एस, जिला बदर शातिर अपराधी चोरी की 02 बाइक व अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार**

दिनांक 17.06.2022 को उ0नि0 नागेश चौधरी मय हमराह चेकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति के गोसाई की बाजार में मौजूद थो कि सूचना मिली कि शातिर चोर व जिला बदर अपराधी उद्धम चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी ग्राम उत्तरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ अपने कुछ साथियों के साथ उमरी श्री हाईवे पुल के पास एकत्र होकर चोरी को योजना बना रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस बल प्रस्थान करके उमरीश्री हाईवे पुल के नजदीक पहुँचे तो दो मोटरसाइकिल खड़ी करके आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा उन्हें घेरकर एवं आवश्यक बल प्रयोग करके एक व्यक्ति को मौके से ही पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल रहा पकड़े गये व्यक्ति की जमा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो अपना नाम उद्धम चौहान उर्फ राज चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी ग्राम उत्तरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसकी जमा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद नजायज तमन्जा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोबाइल नीले व काले रंग का pova स्क्रीन टच तथा उसके कब्जे से पहने सर्ट के जेब से 220 रु0 नगद तथा तथा एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पेण्डर प्लस काले रंग की जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP50U9737 लगा है E चालान ऐप से चेक किया गया तो उक्त मोटर सायकिल का वास्तवीक नं0

UP50BE9255 होना पाया गया। तथा दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर नम्बर प्लेट पर UP50Z0683 लगा है उसका वास्तविक नं० UP50BA4834 है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15.06.2022 की रात मैंने ग्राम मईखरगपुर पूर्वचल ढाबा के सामने से तीन सेट मकान की खिड़की तोड़कर पीछे से अन्दर जाकर एक अदद मोबाइल व 2000 रुपये चुराया था यह मोबाइल व पैसा उसी चोरी का है। शेष रूपया हमने खाने पीने में खर्च कर दिया बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में बताया कि हम लोग दोनो मोटर सायकिल पर फर्जी नम्बर अंकित कर पुलिस से बचने हेतु व लोगो को धोखा देने हेतु प्रयोग में ला रहे थे tvs मोटरसाइकिल को हम दोनो ने ग्राम मुडियार थाना फूलपुर आजमगढ़ से एक व्यक्ति के घर के सामने से दिनांक 05.02.2022 को चुराया था तथा हिरो स्पेण्डर मोटरसायकिल को दिनांक 10.06.2022 को ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ से दोनो ने मिलकर चुराया था इसके अलावा दिनांक 22.02.2022 को ग्राम लूसामुबारकपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ क्षेत्र से बारात से एक हारनेट होण्डा मोटरसाइकिल हम दोनो ने चुराया था

अभियुक्त उद्धम चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान ग्राम उत्तरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ एक शातिर किस्म का चोर सक्रिय HS अपराधी है जिसका काफी अपराधिक इतिहास भी है और इसके विरुद्ध दिनांक 28.08.2021 को थाना स्थानीय से गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी है जिसके आधार पर श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रसाशन आजमगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 24.12.21 के द्वारा अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। जिसकी तामिला भी बजातखास की कराया गयी है। इसके पश्चात भी अभियुक्त श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रसाशन आजमगढ़ महोदय के आदेश दिनांक 24.12.21 का उल्लंघन करने जनपद व थाना क्षेत्र में विचरण करता हुआ पाया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 209/2022 धारा 401,411,413,414,420,473 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2- मु.अ.स. 210/22 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 3- मु.अ.स. 211/22 धारा 10 उ.प्र. गुण्डा गर्दी नियंत्रण अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- उधम चौहान उर्फ राज चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी उतरगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

बरामदगी

- एक अदद नजायज तमन्जा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- एक अदद मोबाइल नीले व काले रंग का pova स्क्रीन टच व 220 रु० नगद
- चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पेण्डर प्लस काले रंग की जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP50U9737 लगा है वास्तविक नं० UP50BE9255
- मोटरसाइकिल जिस पर नम्बर प्लेट पर UP50Z0683 लगा है जिसका वास्तविक नं० UP50BA4834 है।

आपराधिक इतिहास-

- 1- 47/19 धारा 41/411/413 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2- 51/21 धारा 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 3- 88/20 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 4- 197/20 धारा 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 5- मु.अ.स. 198/20 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 6- मु.अ.स. 201/21 धारा 380 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 7- मु.अ.स. 206/21 धारा 37/398/401/411/467/468/471 भादवि व 3/4/25 आयुध अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

- 8- मु.अ.स. 210/19 धारा 379 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
9- मु.अ.स. 224/19 धारा 41/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

- उ0नि0 नागेश चौधरी चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का0 रघुबीर यादव, चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का0 अनिल मौर्या चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का0 रंजीत कुमार चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का0 उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का0 सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- रौनापार चोरी की मोबाइल, नगदी व तमंचा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

- 1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण** – वादी श्री रोहित पुत्र शिवकुमार सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.06.22 की रात में वादी के घर से अभियुक्त सचिन द्वारा पर्स जिसमें चार हजार रुपये, आधार कार्ड, व एक लावा सेट मोबाईल चुरा ले जाना तथा दिनांक 17.06.22 की शाम को अभियुक्त द्वारा तमंचा दिखाते हुए जान मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 211/22 धारा 380/506 भादवि व उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के फर्द के आधार पर बावत् अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सचिन पुत्र महेन्द्र उर्फ नखडू सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। व मु0अ0सं0 211/22 धारा 380/506 से सम्बन्धित एक अदद मोबाईल कीपैड लावा व एक आधार कार्ड व एक पर्स व 500 रुपये नगद बरामद होना व मु0अ0सं0 211/22 में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी होना।
- 2. गिरफ्तारी का विवरण** - उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह द्वारा आज दिनांक 18.06.2022 को देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित पेण्डिंग विवेचना जाँच प्रा0पत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में क्षेत्र में मामूर थे चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त सचिन पुत्र महेन्द्र उर्फ नखडू सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ समय 08.45 बजे हिरनई गुल्लीगढ़ से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।
- 3. पंजीकृत अभियोग-**
 1. मु0अ0सं0 211/22 धारा 380/506/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 212/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 4. आपराधिक इतिहास-**
 1. मु0अ0सं0 211/22 धारा 380/506/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
 2. मु0अ0सं0 212/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
 3. मु0अ0सं0 26/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
 4. मु0अ0सं0 162/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
- 5. गिरफ्तार अभियुक्त** - सचिन पुत्र महेन्द्र उर्फ नखडू सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 6. बरामदगी-**
 - 1-अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व
 - 2- मु0अ0सं0 211/22 धारा 380/506 से सम्बन्धित एक अदद मोबाईल कीपैड लावा व एक आधार कार्ड व एक पर्स व 500 रुपये नगद बरामद होना।
- 7. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ०नि० श्री राजेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. हे०का० राजेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का० उत्कर्ष सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली जीयनपुर

अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की एक अदद मो०सा० TVS स्पोर्ट के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17/06/2022 को उ.नि. सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 391/2022 धारा 41/411/414 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश पटेल पुत्र रामकृत पटेल निवासी रचनपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को घाघरा तिराहा रौनापार रोड़ के पास से समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध .315 बोर तमंचा व एक अदद कारतूस .315 बोर व चोरी की एक अदद मो०सा० TVS स्पोर्ट बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु०अ०सं० 391/2022 धारा 41/411/414 IPC ,मु०अ०सं० 392/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु०अ०सं० 391/2022 धारा 41/411/414 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 392/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. चोरी की एक अदद मो०सा० TVS स्पोर्ट बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त -

मुकेश पटेल पुत्र रामकृत पटेल निवासी रचनपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. सौरभ कुमार सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का० धनन्जय राय थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का० श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
4. का० हिरालाल थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना- फूलपुर

हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 16.06.2022 को रमाकान्त पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम नगरूमऊ साईस्ताबाद थाना डलमऊ जिला रायबरेली व उनके भाई श्री बृजपाल के उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित सूचना व भाई बृजपाल का बताकर मोबाईल खो जाने की बात को लेकर विपक्षी 1. अखिलेश पुत्र धुनर निवासी ग्राम पुरेलालू मजरे हीगा मऊ 2. जयप्रकाश पुत्र रामदास 3. रामधन पुत्र बुद्धू निवासी गण ग्राम पूरे शुकलन मजरे कटिघर थाना डलमऊ जिला रायबरेली द्वारा स्वयं के भाई सूरज उम्र 22 वर्ष की मारपीट कर हत्या कर देने व भाई की लाश को भट्टे मालिक व मुन्सी की न जानकारी में चार पहिया गाडी से जिला रायबरेली ले जाना व भाई की लाश ग्राम जोहवा नटकी के पूरे हन्नु मार्ग के पास लाश पड़े होने पड़े होने के पश्चात रायबरेली पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर हस्व आदेश

प्रभारी निरीक्षक महोदय के थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/22 धारा 302/201 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 18.06.22 को प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कस्बा फूलपुर रोडवेज के पास खड़े हैं कही जाने की फिराक है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। तत्काल प्र0नि0 मय हमराह बाजार के रास्ते कस्बा फूलपुर पहुँचे तो मुर्ति के पास जो दो व्यक्ति खड़े हैं जिनको सरायमीर रोड पर पकड़ लिया गया व नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. रामधन पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम पूरे शुक्लन मजरे कटिघर थाना डलमऊ जिला रायबरेली 2. जयप्रकाश पुत्र रामदास ग्राम पूरे शुक्लन मजरे कटिघर थाना डलमऊ जिला रायबरेली बताया की नाम पता तस्दीक होने के बाद उक्त अभियुक्तगण को उनके कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 06.20 बजे बकायदा बाजपत्ता रोडवेज कस्बा फूलपुर हिरासत पुलि में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 208/22 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामधन पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम पूरे शुक्लन मजरे कटिघर थाना डलमऊ जिला रायबरेली उम्र 40 वर्ष
2. जयप्रकाश पुत्र रामदास ग्राम पूरे शुक्लन मजरे कटिघर थाना डलमऊ जिला रायबरेली उम्र 31 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 कमलेश मिश्रा का0 झन्नजय भारती थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 शिवराम सरोज का0 प्रदीप कुमार यादव, म0का0 प्रीती तिवारी, म0का0 प्राची तिवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

दहेज हत्या से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 16.06.2022 को वादी श्री रामभवन चौहान पुत्र रामआधार चौहान सा0 चकमेऊआ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों द्वारा वादी की भतीजी संयोगिता को दहेज के लिये प्रताड़ित करने व हत्या कर फंदे से लटका देने के सम्बन्ध में दाखिल लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0248/22 धारा 498ए/323/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 18.06.2022 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह के विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा प्रेषित मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु व0उ0नि0 चौकी क्षेत्र इटौरा मे मौजूद थे कि सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त नामित अभियुक्त हाजिर अदालत होने के लिये कचहरी जाने वाले हैं इस सूचना पर टूल्लुगंज तिराहे पर पहुँचे जहाँ सवारी का इन्तजार कर रहे एक महिला व तीन पुरुषों को देख कर मुखबीर ने बताया कि यही नामजद अभियुक्त है जिसपर वाहन को रोककर घेर कर हमराहियों के साथ उन्हें वही मौके पर समय 09.10 बजे सुबह नाम पता पूछकर कारण गिरफ्तारी बताकर बाजापत्ता पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 0248/22 धारा 498ए/323/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2. कान्स0 दीवानचन्द थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
3. कान्स0 सिद्धार्थ गौड थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
4. म0कान्स0 नीलमणी तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

मारपीट करने वाले वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 16.06.22 को वादी श्री श्यामलाल राजभर पुत्र मदनलाल राजभर सा0 रवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा चौथ के कार्यक्रम मे कुछ सामान कम पड जाने के कारण बाजार से सामान लेकर वापस घर जाते समय विपक्षीगण 1. नागेश पुत्र भगावन , 2. सोनू पुत्र छविराज , 3.राजू पुत्र इसरी , 4.पिन्टू सोनकर पुत्र राजेन्द्र , 5. अमित सोनकर पुत्र दिनेश समस्त नि0गण ग्राम रवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा राय होकर गाली गुप्ता देना मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने व बेहोश हो जाने के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 195/22 धारा 147/323/504/506/ 308 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 श्री शमशेर यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम मे –

दिनांक- 18.06.22 को व0उ0नि0 शमशेर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 सोनू उपरोक्त जो वादी मुकदमा को मुकदमे मे सुलह करने की बात को लेकर बार बार धमकी देता है इस समय घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है सूचना मिलते ही व0उ0नि0 मय हमराह के अभि0 सोनू के घर रवनिया आये कि एक व्यक्ति घर के बाहर चारपाई पर बैठा था कि पुलिस वालो को देखते ही चारपाई से उठकर भागना चाहा कि हमराही कर्म0गण की मदद से पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनू पुत्र छविराज सा0 रवनिया थाना बरदह आजमगढ़ बताया पूर्ण विश्वास होने पर कि मुकदमा उपरोक्त का नामजद अभि0 है जो वादी को बार बार धमकी दे रहा है तथा विवेचना मे सहयोग नही कर रहा है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय 06.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 195/22 धारा 147/323/504/506/ 308 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त – सोनू पुत्र छविराज सा0 रवनिया थाना बरदह आजमगढ़

पुलिस टीम-

श्री शमशेर यादव (व0उ0नि0) सुविन्द्र गुप्ता (आरक्षी) राजित कुमार (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 18.06.2022 को माननीय न्यायलय (ASJ-8) द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 65/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश राम पुत्र लालता राम निवासी चकमक सुदजहां थाना अहरौला आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है।